

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

अज अदालत.....

जिला-बाडमेर.....

मुकाम.....

बनाम.....

बाबुराम

मोहनराज

किस्म मुकदमा.....

राज आशे

नं.....

217/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/5/22	<p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री रिवाद्यालक मिश्रा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/6/22 को पेश हो।</p> <p>28/06/2022</p> <p>प्राथी वकील उपस्थित/विप्राथी जणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर की खिन्नाये गये। खिन्की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्जलार होकर पत्रावली दिनांक 12/07/2022 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाडमेर</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाडमेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उप
क्रमांक : वाद / 2022 / 1242
प्रार्थी

बाबुराम पुत्र सुरताराम
जाति जाट

2/07/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कण्डे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाइमर

आह
दुखम
संज्ञा

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/1242

दिनांक : 12/09/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बाबुराम पुत्र सुरताराम,
जाति जाट, निवासी धतरवालो
का नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. मोहनराम पुत्र लाभुराम वगैरा 16,
जातियान् जाट, निवासीयान् धतरवालों
का नगर, पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 217/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - धतरवालों का नगर, पटवार मण्डल - बायतु भोपजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 528/399 रकबा क्रमशः 0.5259 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/1243-47

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बाबुराम पुत्र सुरताराम,
4. विप्रार्थी श्री मोहनराम पुत्र लाभुराम वगैरा 16,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 12/09/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर